प्रकरण संख्या 171/2017 दीपक कुमार बनाम नन्दलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित आराजीयात जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है, कुल किता 18 रकबा 2.6500 हैक्टर भूमि के विभाजन, घोशणा एवं स्थायी निशेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2017 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16.10.201 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पश्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स''ापथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण को गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि प्रकरण में वादी की कोई साक्ष्य नहीं ली गयी है तथा प्रकरण तलबी की स्टेज पर चल रहा था। प्रकरण में बिना तलबी हुए तथा वादी/अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वाद खारिज कर दिया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।	

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाशक ने प्रकरण में सरकार का हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण तलबी में चल रहा था तथा प्रकरण में लगातार 9 पेशियों में न्यायालय की छाप लगी होकर दसवीं पेशी पर बिना तामिल हुए प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी/अपीलान्ट का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ''विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि/कय की हुई है। अतः बिना प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के बंटवाड़ा व घोशणा नहीं की जा सकती।''

अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही इस स्टेज पर पहुंचा जा सकता है कि बंटवाड़ा अथवा घोशणा की जा सकती है अथवा नहीं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गयी है तथा प्रकरण तलबी में चल रहा था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31–10–2019 को उपस्थित रहें।

	पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (प्रियंका जोधावत) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 171/2017 दीपक कुमार बनाम नन्दलाल